संख्या-326/पी0आर0सी/चौवालिस-1/92-31(68)/74

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
(2) प्रबन्ध निदेशक,
समस्त राज्य पोषित निगम/सार्वजनिक
उद्यम/कम्पनियां, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 1992

विषय :- नौकरियों में जिले के भूल निवासियों की नियुक्ति में प्राथमिकता।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1310/ब्यूरो/31(68)/74, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि राज्य पोषित निगमों तथा सार्वजनिक उद्योगों/सरकारी कम्पनियों में 500 रु0 या उससे कम प्रतिमाह वेतन की नौकरियां यथासंभव उस जिले के मूल निवासियों को ही दी जायं, जहां संबंधित अधिष्ठान/औद्योगिक इकाई स्थापित हो। साथ ही यह आदेश भी दिये गये थे कि यह नियुक्ति अधिकारी इस नीति का अनुसरण न कर सकें तो वे प्रत्येक नियुक्ति के बारे में उन विशेष कारणों का उल्लेख करें, जिनके फलस्वरूप ऐसा करना संभव न हो।

2- इस बीच नौकरियों में वेतन/वेतनमानों की सीमाओं में हुई बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त 500 रु0 की अधिकतम वेतन सीमा को बढ़ाकर 2200 रु0 कर दिया गया है।

3- तद्नुसार कृपया शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
श्रीकृष्ण,
विशेष सचिव।

संख्या-326 (1)/पी0आर0सी0/चौ0-1-92-31(68)/74, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) शासन के संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, लखनऊ।

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी,
अनु सचिव।